न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री राहुल जैन, आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती चम्पादेवी पत्नी स्व. रामाजी, जाति राजपूत व अन्य – 2		डॉ. रामसुख शर्मा पुत्र धुलारामजी, जाति ब्राह्मण, निवासी अलवर व अन्य – 3

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 37/2021

दिनांक 8/02/2023

–: निर्णय :–

इस वाद में दिनांक 18.02.2008 को तनकीवाईज निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये थे। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प, सिरोही (राज.) द्वारा दिनांक 07.08.2013 को निर्णय सुनाया जाकर उक्त वाद में पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2008 को अपास्त किया जाकर दोनो पक्षो को सुनवाई, साक्ष्य आदि का समुचित अवसर प्रदान किया गया। जिसके बाद इस वाद को दिनांक 10.02.2014 को पुनः वाद नं 07/2014 को दर्ज किया गया व पुनः सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 17.03.2021 को इस वाद को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया। जिसे दिनांक 02.08.2021 को पुनः वाद नं. 37/2021 में दर्ज किया गया।

वादीगण के वाद पत्र कें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा तोरणा, आबूपर्वत के पुराने खसरा संख्या 141 रकबा 1.04 बिस्वा के नये खसरा संख्या 175 रकवा 0.15 बिस्वा भूमि रामा के स्व. पिता दरजा के खातेदारी की होने से वादीया के पति श्री रामाजी के हिस्से में आने से वादीया के पति श्री रामाजी ने पुराने नाप की 0.05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये विक्रय विलेख विक्रय की थी। वादीया के पति श्री रामाजी ने प्रतिवादी संख्या 1 रामसुख को मौके पर 0.05 बिस्वा भूमि का कब्जा दिया था व शेष पुराने खसरा संख्या 141 की पुराने नाप की 0.19 बिस्वा भूमि व नये नाप के नये खसरा संख्या 175 की 0.12 बिस्वा भूमि वादी के लगातार कब्जे में है। दिनांक 12.07.1997 को प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के प्रतिनिधी विवादित भूमि पर आए व वादीया के पति श्री रामाजी की भूमि पर कब्जा करने लगे जिस पर वादीया के पति श्री रामाजी ने विरोध किया। उक्त घटना के पश्चात वादीया के पति श्री रामाजी दिनांक 13.07.97 को पटवारी आबूपर्वत से मिला व जानकारी की तो मालूम हुआ कि राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर नये 175 की 0.15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के नाम वर्तमान में दर्ज है। वादी ने पुराने खसरा नंबर 141 रकबा 1.04 जिसे नये खसरा नंबर 175 रकबा 0.15 बिस्वा है के पुराने नाप की 0.05 बिस्वा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 को वादीया के पति श्री रामाजी ने विक्रय की थी को छोड़ कर शेष भूमि का खातेदार कृषक है व अपने नाप पुनः नामान्तरकरण दर्ज करवाने व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीया ने वाद ग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही गई है।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अपने जवाबदावा ने बताया कि वादीया के पति श्री रामाजी ने प्रतिवादी संख्या 1 को पुराने खसरा संख्या 141 [illegible] 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि विक्रय कर कब्जा सौप दिया था जो विक्रय [illegible] में स्पष्ट है। विक्रय की दिनांक 17.08.1950 से 28.10.1986 तक उक्त [illegible] 141 जिसका नया खसरा नंबर 175 है कि सम्पूर्ण भूमि का कब्जा श्री रामसुख शर्मा के पास था तथा [illegible]8.10. 1986 से प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के पास है। वादीया के [illegible] श्री रामाजी का यह [illegible] कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 को 5 बिस्वा भूमि ही विक्रय की थी गलत होने से अस्वीकार है। जवाब में वाद के कथनों को अस्वीकार कर विशेष कथन में बताया कि रामसुख ने खसरा नंबर 141 की 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि के 1/50 के हिस्से पर निर्माण कार्य करने की अनुमति नगरपालिका आबूपर्वत व तहसीलदार आबूरोड़ से चाही थी। डा. रामसुख का कब्जा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:32 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी की भूमि होने से क्रमशः 26.6.74 व 2.6.74 को नगरपालिका आबूपर्वत व तहसीलदार, आबूरोड़ के द्वारा निर्माण की अनुमति दी गई थी। पुराने खसरा नंबर 141 जिसके नये खसरा संख्या 175 का रकबा 15 बिस्वा है कि भूमि का कब्जेदार मालिक व खातेदार प्रतिवादी रामसुख है इस संबंध में राजस्व रिकॉर्ड का पटवारी व तहसीलदार कार्यालय में अवलोकन करने के पश्चात युक्तियुक्त रूप से पूर्ण जानकारी व जांच कर सदभावना में इन प्रतिवादी संख्या 2,3,4 ने प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त खसरा नंबर 175 की 15 बिस्वा भूमि दिनांक 28.10.1986 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वादी का वाद मय खर्च खारिज करावें। प्रतिवादी की ओर से नजीरे पेश की गई। उक्त नजीरो में वाद बिन्दुओ से जो प्रासंगिकता है उसका अध्ययन किया गया।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं लिये गये बयानो का गहनता से अवलोकन किया एवं वकील पक्षकारान की सुनी गई बहस पर भी मनन तथा पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य व बयानों व अन्य नये दस्तावेजो को ध्यान में रखते हुए निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार पारित किया जाता है :–

1. <u>आया वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के पुराने नाप की 0.05 बिस्वा भूमि विक्रय की थी ?</u>

यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार वादीगण पर था। प्रदर्श ए 9 के नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 14.01.87 के अनुसार मौजा तोरणा के खसरा संख्या 175 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि डा. रामसुख शर्मा वल्द धूलारामजी के खातेदारी की थी, जो बेचान होने से श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नि सुरेश डिडवानिया, सुरेश पुत्र मानकचन्द डिडवानिया, श्रीमति किरणदेवी पत्नि सी.जी.गर्ग. नि. जोधपुर के नाम से दर्ज हुई है। प्रदर्श 12 मिलान क्षेत्रफल है जिसके अनुसार पुराने खसरा नंबर 141 के नये खसरा नंबर 175 ही बना है। प्रदर्श 1 ए बेचाननामा दिनांक 17.8.50 की छाया प्रति है, जो मूल रूप में नही है। प्रदर्श 10 जमाबंदी 2051 से 2054 के अनुसार खसरा नंबर 175 की भूमि 0.15 बिस्वा उक्त शंकुन्तला डिडवानिया वगैरः के नाम से दर्ज हैं। प्रदर्श 3 ए जमाबंदी संवत 1016 के अनुसार पुराने खसरा संख्या 141 रकबा 1.04 बीघा डा. रामसुख शर्मा पुत्र धूलाराम के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। बेचाननामा दिनांक 28.10.86 के अनुसार रामसुख पुत्र धूलाराम ने खसरा नंबर 175 की 0.15 बिस्वा सम्पूर्ण का उक्त शंकुन्तलादेवी वगैरः को बेचान किया जाना प्रमाणित है। प्रदर्श 5 ए अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका ने अपने पत्र सं. 392 दिनांक 20.6.74 के निर्माण का प्रमाण पत्र जारी किया है। तहसीलदार, आबूरोड़ निर्माण की स्वीकृति दी है। श्री पदमसिंह ने अपने ब्यानों के जिरह में यह कथन किया है कि जमीन मौके पर मेरे पिताजी ने मेरे जन्म से पूर्व विक्रय की थी। यह मुझे पता नही है कि मेरे पिता ने कुल कितनी जमीन का कब्जा रामसुखजी को दिया था। उक्त दस्तावेजो से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी मौजा तोरणा के पुराने खसरा संख्या 141 रकबा 1.04 बीघा एवं नये खसरा संख्या 175 रकबा 0.15 बिस्वा की भूमि सम्पूर्ण ही उक्त रामसुख पुत्र धूलाराम के नाम थी जो उनके द्वारा बेचान की गई है। वादी ने किसी भी ठोस दस्तावेज अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य से मात्र 0.05 बिस्वा ही भूमि बेचान करने के तथ्यों को प्रमाणित नही कराया है तथा नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर न ही प्रदर्श का अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में यह वाद बिन्दु वादीगण अपने हक में साबित कराने में विफल रहे है। अतः यह वाद बिन्दु वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. <u>आया वादी नये खसरा नंबर 175 रकबा 0.15 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की गई भूमि के अलावा शेष भूमि पर काबिज काश्त है ?</u>

यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार वादी[...] संवत 2016 के अनुसार पुराने खसरा संख्या 141 रकबा 1.04 बीघा भूमि डा. रामसुख [...]लाराम के नाम से दर्ज रिकार्ड हैं । प्रदर्श ए 8 ए बेचाननामा दिनांक 28.10.86 [...] पुत्र धूलाराम शर्मा ने खसरा संख्या 175 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि श्रीमति शकुन्तला देवी [...] डिडवानिया, श्री सुरेश पुत्र मानकचन्दजी डीडवानिया, श्रीमति किरणदेवी पत्नि सी.जी.गर्ग. नि. जोधपुर को बेचान की है। इस प्रकार पुराने खसरा नंबर 141 जिसके नये खसरा नंबर 175 बने है स[...] भूमि का ही बेचान किया गया है। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका आबूपर्वत ने पत्र संख्या 392 दिनांक 20.6.74 प्रदर्श ए 5 ए के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार नगरपालिका को कोई आपत्ति नहीं है, यदि डाक्टर रामसुख शर्मा, ग्राम तोरणा में उनकी खातेदारी की भूमि खाता नंबर 7, खसरा नंबर 141 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा पर 1/50 हिस्से में निर्माण कार्य करें। तहसीलदार, आबूरोड़ ने अपने पत्र 1009 दिनांक 2.7.74 प्रदर्श ए 6 ए के अनुसार उक्त डाक्टर रामसुख शर्मा, ग्राम तोरणा को लिखा है कि ग्राम तोरणा के खातेदारी कृषि भूमि खाता नं. 7 रकबा 141 रकबा 1.04 के 1/50 भाग पर विकास की दृष्टि से निर्माण किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:47:32 IST
Reason: SelfAttested

जाने की स्वीकृति दी जाती है। वादीगण पीडब्लू 1 पदमसिंह पुत्र रामा जी ने जिरह में बयानों में कथन किया है कि जमीन मेरे पिताजी ने मेरे जन्म से पूर्व विक्रय की थी। यह मुझे पता नही कि मेरे पिता ने कुल कितनी जमीन डा. रामसुख शर्मा को बेची थी व विक्रय के दिन कितनी जमीन का कब्जा रामसुखजी को सौपा था मुझे पता नही। पुराने एक बीघा 4 बिस्वा जमीन का कब्जा सौपा हो तो मै नहीं कह सकता। इस जमीन पर रामसुखजी डाक्टर का कब्जा विक्रय के दिन से हो तो मुझे पता नहीं है। डा. रामसुख ने अपने कब्जे की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या. 2,3,4 को बेची हो तो मुझे पता नहीं। पीडब्लूडी गुमानसिंह ने अपने ब्यानों के जिरह में कथन किया है कि शकुन्तला देवी के कब्जे खातेदारी की भूमि से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न ही हम शकुन्तादेवी से कोई राहत चाहते है। इस प्रकार वादीगण ने अपने ब्यानों में भी यह स्पष्ट रूप से नही बताया है कि जमीन बेची व शेष भूमि पर उनका कब्जा हो। ऐसी स्थिति में वादीगण किसी भी ठोस दस्तावेज या दस्तावेजीय साक्ष्य से यह प्रमाणित कराने में विफल रहे हैं कि वादी ने नये खसरा नंबर 0.15 बीघा भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की गई भूमि के अलावा शेष भूमि पर काबिज काश्त हों। अतः यह वाद बिन्दु भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. आया वादी पुनः अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है ?

यह वाद बिन्दु साबित करने का भार वादी पर था। वाद बिन्दु संख्या 1 व 2 के निर्णयानुसार पुराने खसरा नंबर 141 रकबा 1.04 बीघा के नये खसरा नंबर 175 रकबा 0.15 बीघा सम्पूर्ण भूमि डा. रामसुख शर्मा के नाम रिकॉर्ड थी जो प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को सम्पूर्ण भूमि ही बेचान की गई है। वादीगण ने किसी भी ठोस दस्तावेज या दस्तावेजीय साक्ष्य से इस बिन्दु को अपने हक में साबित नही कराया है। अतःयह वाद बिन्दु भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

4. आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

यह वाद बिन्दु साबित करने का भार वादी पर था। यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादग्रस्त भूमि के खातेदारी घोषणा का ही वादी अधिकारी नही है तो स्थायी निषेधाज्ञा भी वादी के हक में पारित नही कि जा सकती । अतःयह वाद बिन्दु भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

5. आया वादी नामान्तरकरण संख्या 3 दिनांक 1.10.59 व नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 14.1.87 निरस्त कराने का अधिकारी है ?

यह वाद बिन्दु साबित करने का भार वादी पर था। प्रदर्श 2 बेचाननामा दिनांक 17.4.50 जो गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, उसमें प्लॉट का नाप 1158 वर्गगज दर्ज है किन्तु इस बेचान नाम में खसरा नंबर अंकित नही है। खसरा नंबर अंकित नही होने से यह नही माना जा सकता कि उक्त 1158 की भूमि ही पुराने खसरा नंबर 141 की भूमि है। अन्य किसी भी दस्तावेज या दस्तावेजीय साक्ष्य से वादीगण ने यह प्रमाणित नही कराया है कि वे किस आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3 दिनांक 1.10.59 व 84 दिनांक 14.1.87 को निरस्त कराने के किस प्रकार से अधिकार है। अतःयह वाद बिन्दु भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

6. आया प्रतिवादी संख्या 2, 3,4 ने वादग्ररस्त कृषि भूमि सदभावना में पूर्ण बाजार किमत अदा कर क्रय की है ?

यह वाद बिन्दु साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रदर्श ए 8 ए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 28.10.1986 के अनुसार डा. रामसुख शर्मा पुत्र धूलाराम शर्मा ने खसरा संख्या 175 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नि सुरेश डीडवानिया, श्री सुरेश पुत्र मानकचन्दजी डीडवानिया, श्रीमति किरणदेवी पत्नि सी.जी.गर्ग. नि. जोधपुर को तोरणा के खसरा संख्या 175 की 15 बिस्वा भूमि बेचान किया [illegible] है। इस बेचान दस्तावेज से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 2,3,4 वादग्रस्त कृषि भूमि [illegible] पूर्व बाजार किमत अदा कर भूमि क्रय की गई। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी संख्या 2,3, 4 के [illegible] किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:32 IST
Reason: SelfAttested

7. आया वाद ग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा [illegible] अनुतोष नही चाहा है अतः यह दावा चलने योग्य नही हैं ?

यह वाद बिन्दु साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्ति का अनुतोष नही चाहा गया है और दावा चलने योग्य नही है। अतः यह वाद बिन्दु भी प्रतिवादी के हक में निर्णित किया जाता है।

8. आया वाद पत्र के पद संख्या 7 में बताये अनुसार विवादित भूमि आबादी भूमि होने से इस न्यायालय को यह वाद सुनने का अधिकार नही ?

यह वाद बिन्दु साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। राजस्व जमांबदी के अनुसार खसरा संख्या 175 की किस्म वा.पु. है। ऐसी स्थिति में एवं वाद पत्र के पद संख्या 7 आबादी का उल्लेख नही होने से यह वाद बिन्दु भी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 से 3 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। वाद बिन्दु संख्या 6 व 7 प्रतिवादीगण के हक में वाद में , वाद बिन्दु संख्या 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। वादी ने किसी ठोस दस्तावेज अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य से यह प्रमाणित नही कराया है कि मौजा तोरणा के खसरा संख्या 175 की भूमि 0–05 बिस्वा ही बेची हो न कि 0–15 बिस्वा । ऐसी स्थिति में वादीगण का यह वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/2/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राहुल जैन) I.A.S.
सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

पीठासीन अधिकारी श्री राहुल जैन, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 37/2021

1. श्रीमती चम्पादेवी पत्नी स्व. रामाजी, जाति राजपूत।
2. गुमानसिंह पुत्र स्व. रामाजी, जाति राजपूत।
3. पदमसिंह उर्फ पदमा पुत्र स्व. रामाजी, जाति राजपूत, निवासीयान आबूपर्वत।

वादीगण

बनाम

1. डा. रामसुख शर्मा पुत्र धुलारामजी, जाति ब्राह्मण, निवासी अलवर।
2. श्रीमती शकुन्तला पत्नी सुरेश डिडवानिया, निवासी 13, सैण्ट्रल स्कूल स्कीम, एयरपोर्ट , जोधपुर।
3. श्रीमती किरणदेवी पत्नी सी.एल.गर्ग , निवासी जोधपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आबूरोड़ (राज.)

प्रतिवादीगण

दिनांकः— 8 .02.2023

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजीर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई प्रतिवादी पैरोकर मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण ने किसी भी ठोस दस्तावेज अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य से यह प्रमाणित नही कराया है कि मौजा तोरणा के खसरा संख्या 175 की भूमि 0.05 बिस्वा ही बेची हो न कि 0.15 बिस्वा ऐसी स्थिति में वादीगण का यह वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे.....×.....मुतलिक.....×.....बाबत.....×.....खर्चा इन मुकदमें के मय सूद वगैरह.....×..... फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....×.....को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज दिनांक 8 —02—2023 को जारी की गई है।

(राहुल जैन ,आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:32 IST
Reason: SelfAttested